

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ 7(166) परि/रूल्स/एच.क्यू./2012/पार्ट 16854


जयपुर, दिनांक : 31.08.2015

अधिसूचना

सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007 (2007 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 41) की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, मोटर यान उप-निरीक्षक से अनिम्न रैंक के परिवहन विभाग के समस्त अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 18 के अधीन किये गये अपराधों का, नीचे यथा-विनिर्दिष्ट रकम के संदाय पर, शमन करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करती है :-

- (i) प्रथम अपराध के लिए : दो हजार पांच सौ रुपये मात्र
(ii) पश्चात्वर्ती अपराध के लिए : पांच हजार रुपये मात्र


राज्यपाल के आदेश से,


(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव

सं. एफ 7(166) परि/रूल्स/एच.क्यू./2012/पार्ट 16855 - जयपुर, दिनांक : 31.08.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 31.08.15 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्त लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
10. अपर परिवहन आयुक्त,(समस्त) जोन।
11. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
12. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....समस्त।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

Government Of Rajasthan
Department Of Transport

S.No :F 7(166)pari//rules/Hq/2012/part 16854

Jaipur, Dated: 31-08-2015

Notification

In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 19 of the Carriage by Road Act, 2007 (Central Act No. 41 of 2007), the State Government hereby authorises all the officers of transport department not below the rank of Motor Vehicle Sub- Inspector to compound the offence committed under section 18 of the said Act on payment of amount as specified below:-

- (i) for first offence : Rupees two thousand five hundred only
(ii) for subsequent offence : Rupees five thousand only

By the order of Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

S.No :F 7(166)pari//rules/Hq/2012/part 16855-868

Jaipur, Dated: 31-08-2015

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Superintendent, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 31-08-15 and a copy thereof may be sent to this department.
2. P.S. to Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. S.A. to Hon'ble Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. P.S. to Hon'ble State Minister, Department of Transport, Rajasthan, Jaipur.
5. P.S. to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
6. P.S. to Transport Commissioner and Secretary to the Government of Rajasthan, Jaipur.
7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
8. Law (Codification) Department, Jaipur.
9. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
10. All Additional Transport Commissioner, Zone.
11. Shri Sanjay Singhal, S.A. for updating departmental website.
12. All Regional/Addl. Regional District Transport Officers.
13. All Officer In-charge Tax Collection Centers of Transport Department.
14. Guard file.

Joint Secretary to the Government